बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञाप सं0–5/बजट (भ0नि0) 5–211/2026 –सा0–............................/

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 2026

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्व व्यय के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के साक्षात्कार कक्षों का आधुनिकीकरण से संबंधित कार्य के लिए कुल ₹59,68,200/- (उनसठ लाख अड़सठ हजार दो सौ रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :– **स्वीकृत।**

यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्व व्यय के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में Renovation of Ganga, Son, Member RamKishor Rajak, Bagmati, Gandak & Mahananda Interview chamber in Mandar Bhawan से संबंधित कार्यः–

क्र0	कार्य का नाम	राशि
1	Renovation of Ganga Interview chamber in Mandar Bhawan at BPSC office.	**₹10,64,400/-**
2	Renovation of Son Interview chamber in Mandar Bhawan at BPSC office.	**₹10,64,400/-**
3	Renovation of Member Ramkishor Rajak Interview chamber in Mandar Bhawan at BPSC office.	**₹9,51,800/-**
4	Renovation of Bagmati Interview chamber in Mandar Bhawan at BPSC office.	**₹9,51,800/-**
5	Renovation of Gandak Interview chamber in Mandar Bhawan at BPSC office.	**₹9,67,900/-**
6	Renovation of Mahananda Interview chamber in Mandar Bhawan at BPSC office.	**₹9,67,900/-**
	Total	₹59,68,200/-

₹59,68,200/- (उनसठ लाख अड़सठ हजार दो सौ रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं0 12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी जाती है।

2. इस राशि के व्यय का विकलन बजट शीर्ष 2059–लोक निर्माण कार्य –01–कार्यालय भवन–053–रखरखाव तथा मरम्मत–0034–सामान्य प्रशासंन विभाग के अधीनस्थ भवनों का अनुरक्षण और मरम्मत के अन्तर्गत–27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत विषय शीर्ष, विपत्र कोंड 03–2059010530034 मांग संख्या–03 के अन्तर्गत होगा।

3. राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार से करेंगे।

4. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता के अद्यतन संशोधित नियमावली एवं बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2005 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नही माना जाय। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत निर्धारित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.98 में निहित निदेश एवं बंधेज तथा एतद संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्र के आलोक में की जायेगी।

7. यह राशि स्थापना एवं प्रतिबद्व व्यय के अन्तर्गत है।

8. राशि के व्यय विवरणी यथाशीघ्र भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायगी।

9. इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, संख्या–01 पटना के पत्रांक 2491 दिनांक 16.07.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दी गयी है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–5/बजट (भ0नि0) 5–211/2026 –सा0–13228/पटना–15 दिनांक 21.07.26

प्रतिलिपिः– सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/बजट सलाहकार, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/7/26

सरकार के अपर सचिव